**मजिस्ट्रेट को रजिस्ट्रीकरण के लिए याचिका**

जिला न्यायालय ...............................

वाद सं................... सन .........................

**अबक**  ...............याची

बनाम

**कखग**  ..............प्रत्यर्थी

**विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 की सं. 43) की धारा 24(2) के अधीन प्रभावकारी न होने वाली घोषित किये गये अधिनियम के अध्याय III के अधीन एक विवाह के रजिस्ट्रीकरण हेतु याचिका।**

याची निम्नलिखित रूप में प्रार्थना करता है- याची प्रत्यर्थी का पति/पत्नी है।

1. पक्षकारों के बीच विवाह तारीख ............... को ................ में ................ के विवाह अधिकारी द्वारा अधिनियम के अध्याय III के अधीन रजिस्ट्रीकृत कराया गया यह समझा जा सकेगा कि विवाह की धारा 18 के उपबंधों के आधार पर अधिनियम के अधीन अनुष्ठापित किया गया। विवाह के प्रमाणपत्र की एक प्रमाणित प्रतिलिपि इस याचिका के साथ उपाबद्ध की जाती है।
2. विवाह के पूर्व तथा याचिका को दाखिल करने के समय पर विवाह के पक्षकारों का स्तर एवम् निवास स्थान निम्नलिखित रूप में है –

|  |
| --- |
| पति |
|  | विवाह के पूर्व | याचिका को दाखिल करने के समय पर |
| स्तर |  |  |
| आयु |  |  |
| निवास स्थान  |  |  |
| पत्नी |
|  | विवाह के पूर्व | याचिका को दाखिल करने के समय पर |
| स्तर |  |  |
| आयु |  |  |
| निवास स्थान  |  |  |

1. [इस पैरा में, उनके लिंग, जन्म तारीखों या आयु के साथ-साथ विवाह के संतानों के नामों का कथन करें]
2. यहाँ कानूनी आधारों में से एक या अधिक का कथन करे जिन पर अनुतोष प्राप्त किया जाता है। जिन तथ्यों पर अनुतोष का दावा आधारित बनाया जाता है उनका कथन वैसे पृथक पर किया जाना चाहिए जैसे मामले की प्रकृति अनुज्ञा प्रदान करती हो]
3. पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से विवाह के बारे में कोई पूर्व कार्यवाही नहीं हुई है।

या

पक्षकारों द्वारा या उनकी ओर से विवाह के बारे में निम्नलिखित पूर्व कार्यवाहियाँ हुई है –

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| क्र.सं. | पक्षकारों के नाम  | अधिनियम की धारा के साथ कार्यवाही की प्रकृति  | मामले की सं. एवं तारीख तथा वर्ष  | न्यायालय का नाम एवं अवस्थित  | परिणाम  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

1. इस याचिका को दाखिल करने में कोई अनावश्यक या अनुचित विलम्ब नहीं हुई है।
2. याचिका प्रत्यर्थी के साथ दुस्संधि में नहीं प्रस्तुत की जाती है।
3. इसका कोई अन्य विधिक आधार नहीं है कि अनुतोष क्यों नहीं मंजूर किया जाना चाहिए।
4. विवाह ............... में अनुष्ठापित किया गया। पक्षकारगण ................ में अंत में साथ-साथ रहते थे। पक्षकार गण ................. (इस न्यायालय की साधारण आरम्भिक अधिकारिता की परिसीमाओं के अन्दर) में अब निवास कर रहे हैं) ।
5. याची निवेदन करता है कि यह माननीय न्यायालय इस याचिका को ग्रहण करने की अधिकारिता रखता है।
6. अतएव, याची, यह प्रार्थना करता है कि अधिनियम के अध्याय III के अधीन अप्रभावकारी होनी न्यायालय द्वारा घोषित की जा सकेगी।

याची

सत्यापन

ऊपर नामित किया गया याची सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान पर विवरण कथन करता है कि याचिका के पैरा ...................... लगायत ................... याची की सर्वोत्तम सूचना एवम् विश्वास में सत्य है।

...................... में इस तारीख .................... को सत्यापित किया गया।

स्थान: याची